

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 184]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 1, 1972/चैत्र 12, 1894

NO. 184]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 1, 1972/CHAITRA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April 1972

S.O. 253(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1757 dated the 29th April, 1971, the Central Government hereby directs that every employer in relation to an establishment exempted under clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 17 of the said Act or in relation to an employee or a class of employees exempted under paragraph 27, or as the case may be, paragraph 27 A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, shall transfer the monthly provident fund contributions within fifteen days of the close of the month to the Board of Trustees, duly constituted in respect of that establishment, and that the said Board of Trustees shall invest every month, within a period of two weeks from the date of receipt of the said amounts from the employer, the provident fund accumulations that is to say that

contributions, interest and sundry receipts as reduced by any obligatory outgoings in accordance with the following pattern, namely:—

- | | |
|---|----------------------------|
| (i) in Central Government securities | not less than 45 per cent. |
| (ii) in State Government securities, the securities guaranteed by the Central Government or the State Governments, in the tax free Small Savings securities and in the 1 year, 3 year and 5 year Time Deposits in Post Offices. | Balance |

The above pattern will be in force for the period from 1st April, 1972 to the 31st May, 1972.

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The Board of Trustees shall formulate proper procedure for prompt investment or reinvestment of accumulations in accordance with the aforesaid directions and shall have it approved by the Regional Provident Fund Commissioner concerned.

[No. G. 27035(4)/72-PF.I/I]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1972

का० भा० 253(अ) —कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० भा० 1757 तारीख 29 अप्रैल, 1971 को अधिकांश करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निवेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन छूट प्राप्त स्थापन के सम्बद्ध या कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 27 या, यथास्थिति, पैरा 27-क के अधीन छूट प्राप्त किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग से सम्बद्ध प्रत्येक नियोजक भविष्य निधि के मासिक अतिरिक्त उस स्थापन की ब बत सम्यक् रूप से गठित न्यासी-बोर्ड को मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर अन्तर्गत कर देगा और उक्त न्यासी-बोर्ड भविष्य निधि सचयनों को, अर्थात् अभिवायों, व्याज और विविध प्राप्तियों को, बाध्य कर निर्गमों को कम करके, निम्नलिखित नमूने के अनुसार हर मास, नियोजक से उक्त रकमों की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विनिहित करेगा, अर्थात् —

- | | |
|--|----------------------|
| (i) केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में | 45 प्रतिशत से अन्यून |
| (ii) राज्य सरकार प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारण्टीकृत प्रतिभूतियों में, करमुक्त अल्प बचत प्रतिभूतियों में और ङाकधरों में एक दशैर्क तीन वर्षीय और पंचवर्षीय आवधिक जमाओं में | शेष |

उपयुक्त नमूना प्रथम अप्रैल, 1972 से 31 मई, 1972 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किये जायें या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये वचत प्रमाणपत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में) भी ऊपर पैरा 1 में उपवर्णित नमूने के अनुसार किए जाएंगे ।

3. न्यासी-बोर्ड संचयनों के पूर्वोक्त निदेशों के अनुसार तत्काल विनिधान या पुनर्विनिधान के लिए उचित प्रक्रिया बनायेगा और उसे भविष्य सम्बन्धित प्रादेशिक निधि आयुक्त से अनुमोदित कराएगा ।

[संख्या जी-27035(4)/72-पी०एफ-1]

डी. एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

